तेवर वही, अंदाज नया .....!
साप्ताहिक
उज्जैन टाइम्स
प्रधान सम्पादक : मनमोहन शर्मा
RNI No. 7583/61
(म.प्र. शासन से 01-04-1997 से समाचार पत्र विज्ञापनों हेतु अनुमोदित)
● वर्ष : 63, अंक : 13 ● उज्जैन, मंगलवार दिनांक 26-12-2023 से 01-01-2024 तक ● पृष्ठ : 04 ● मूल्य : 2 रुपये

न्याय वितरण प्रणाली का नया अध्याय

75 वर्षों का सबसे बड़ा ऐतिहासिक सुधार

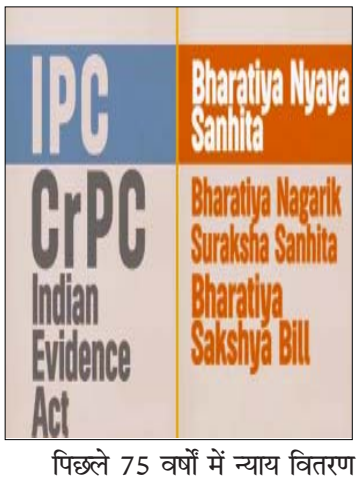

(उज्जैन टाइम्स ब्यूरो)

न्याय वितरण प्रणाली से संबंधित तीन नए कानून, आज दिनांक 21 दिसम्बर 2023 को संसद द्वारा पारित किए गए हैं। यह प्राचीन औपनिवेशिक कानूनों का स्थान लेता है। केंद्र सरकार ने भारत में न्याय वितरण प्रणाली का नया अध्याय खोला है। संसद के बाहर इसके आलोचक पहले ही इस बारे में जोर-शोर से बोल चुके हैं. इसके कुछ खंडों पर विपक्ष को कड़ी आपत्ति है. ये नए कानून हर भारतीय को प्रभावित करेंगे और ये भारतीयों के लिए अनुच्छेद 370 या 2014 के बाद से पारित किसी भी अन्य कानून से अधिक महत्वपूर्ण हैं। हमारे पुलिस स्टेशन और अदालतें फिर कभी एक जैसी नहीं होंगी। इसका वास्तविक प्रभाव और इसकी विसंगतियाँ और कमजोरियाँ तब सामने आएंगी जब यह हमारे पुलिस स्टेशनों और हमारी निचली अदालतों में व्यवहार में आएगा।यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब इतने महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए और उन पर बहस हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों को निलंबित कर दिया गया।

पिछले 75 वर्षों में न्याय वितरण प्रणाली में सबसे बड़े ऐतिहासिक सुधार लाने के लिए गृह मंत्री को हमेशा टैग किया जाएगा। केवल समय ही बताएगा कि यह आम पुरुषों और महिलाओं को न्याय पाने में कैसे मदद करेगा। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन, जो विरासत बनाते हुए सत्ता पर अपनी पकड़ दिखाती है।

अमित शाह के अनुसार, पेश किए गए तीन नए आपराधिक कानून बिलों में तैयारी के चार पहलू शामिल हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, 16 उच्च न्यायालयों, 142 सांसदों, 270 विधायकों और आम जनता से फीडबैक प्राप्त हुआ।

नए बिल/कानून की मुख्य बातें

भारतीय न्याय संहिता आईपीसी के अधिकांश अपराधों को बरकरार रखती है। इसमें सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा गया है।

राजद्रोह अब अपराध नहीं है. इसके बजाय, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए एक नया अपराध है।

आतंकवाद को एक अपराध के रूप में जोड़ता है। इसे एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना या लोगों में आतंक पैदा करना है।

संगठित अपराध को अपराध के रूप में जोड़ा गया है। इसमें अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए अपहरण, जबरन वसूली और साइबर अपराध जैसे अपराध शामिल हैं। छोटे-मोटे संगठित अपराध भी अब अपराध हैं.

जाति, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास जैसे कुछ पहचान चिह्नों के आधार पर पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा हत्या करना एक अपराध होगा जिसके लिए आजीवन कारावास या मौत की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। इसमें 358 धाराएं होंगी (आईपीसी की 511 धाराओं के बजाय) 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ा दी गई है, 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सज़ा की व्यवस्था की गई है, 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड पेश किया गया है।

19 धाराएं निरस्त/हटा दी गई हैं।

नए बिल/कानून की मुख्य बातें

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (ष्टह्व्क्ष्ट) को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करती है। सीआरपीसी गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत की प्रक्रिया प्रदान करता है।

सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य करता है। फोरेंसिक विशेषज्ञ फोरेंसिक सबूत इकट्ठा करने और प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए अपराध स्थलों का दौरा करेंगे।

सभी परीक्षण, पूछताछ और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जा सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों के उत्पादन, जिसमें डिजिटल साक्ष्य शामिल होने की संभावना है, को जांच, पूछताछ या परीक्षण के लिए अनुमति दी जाएगी।

यदि कोई घोषित अपराधी मुकदमे से बचने के लिए भाग गया है और उसे गिरफ्तार करने की तत्काल कोई संभावना नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है और फैसला सुनाया जा सकता है।

जांच या कार्यवाही के लिए नमूना हस्ताक्षर या लिखावट के साथ-साथ उंगलियों के निशान और आवाज के नमूने भी एकत्र किए जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से नमूने लिए जा सकते हैं जिसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसमें 531 धाराएं होंगी (सीआरपीसी की 484 धाराओं के स्थान पर) कुल 177 प्रावधान बदले गए हैं, 9 नई धाराएं, 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं और 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं समयसीमा को 35 अनुभागों में जोड़ा गया है 35 स्थानों पर ऑडियो-वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। **शेष पृष्ठ 4 पर.....**

सम्पादकीय

उज्जैन-क्या सचमुच भारत का ग्रीनविच है?

प्राचीन विद्वानों के अनुसार, उज्जैन महाकालेश्वर की भूमि है जिसका अर्थ है कि शिव समय और स्थान से परे हैं। लगभग चौथी शताब्दी ई.पू. उज्जैन ने भारत के ग्रीनविच होने की प्रतिष्ठा का आनंद लिया है। हम विश्व का समय ठीक करने के लिए उज्जैन की वेधशाला में शोध करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) के शोधकर्ता (Research) शोध करेंगे और एक मंच (Platform) विकसित करेंगे

मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार, राज्य सरकार प्राइम मेरिडियन, देशांतर की रेखा जिसे समय के लिए वैश्विक संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है, को इंग्लैंड के ग्रीनविच से उज्जैन तक स्थानांतरित करने के लिए काम करेगी।

उपरोक्त बयान राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव का है

राज्य विधानसभा में राज्यपाल की सभा को जवाब देते हुए, यादव ने कहा कि उनकी सरकार साबित करेगी कि उज्जैन वैश्विक प्रधान मध्याह्न रेखा है और उन्होंने जोर देकर कहा कि वह दुनिया के समय को सही करने पर जोर देंगे।

यह हमारा (उज्जैन का) समय था जो दुनिया में जाना जाता था, लेकिन पेरिस ने समय निर्धारित करना शुरू कर दिया और बाद में, इसे अंग्रेजों ने अपनाया जो ग्रीनविच को प्राइम मेरिडियन मानते थे,

यादव एक प्राचीन हिंदू खगोलीय मान्यता का संदर्भ दे रहे थे कि उज्जैन को कभी भारत का केंद्रीय मध्याह्न रेखा माना जाता था और यह शहर देश के समय क्षेत्र और समय के अंतर को निर्धारित करता था। यह हिंदू कैलेंडर में समय का आधार भी है। ऐसा विश्वास है कि उज्जैन, शून्य मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा के साथ संपर्क के सटीक बिंदु पर स्थित है। यह भारत की सबसे पुरानी वेधशाला का स्थान भी है, जिसे 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था।

वर्तमान समय में

1884 में, ग्रीनविच को सार्वभौमिक रूप से प्रधान मध्याह्न रेखा के रूप में स्वीकार किया गया, 0ए देशांतर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक जहां से पूरे विश्व के समय की गणना की जाती है।

इससे पहले, उज्जैन को भारत में समय के लिए केंद्रीय मध्याह्न रेखा माना जाता था। आज भी, आप कहीं भी पैदा हुए हों, जब हिंदू पंचांग के अनुसार पंचांग या राशिफल बनाया जाता है, तो वह हमेशा उज्जैन के समय (आईएसटी से लगभग 29 मिनट पीछे) पर आधारित होता है।

क्या है उज्जैन के इतिहास का इतिहास-समय के प्रति उज्जैन का जुनून

उज्जैन की टाइमकीपिंग तकनीकों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी जगह वेदशाला (वेधशाला) है, जिसे अब सरकारी जीवाजी वेधशाला कहा जाता है।

चौथी शताब्दी के खगोलीय ग्रंथ, सूर्य सिद्धांत के अनुसार, उज्जैन भौगोलिक रूप से उस सटीक स्थान पर स्थित है जहां शून्य देशांतर मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटते हैं। इसीलिए इसे पृथ्वी की नाभि माना जाता है और इसे भारत का ग्रीनविच कहा जाता है।

स्थानीय खगोलीय पंडितों के अनुसार, उज्जैन का स्थान कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा महत्वपूर्ण है क्योंकि, चूंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह अक्षांश सबसे उत्तरी स्थिति को चिह्नित करता है जहां से सूर्य को सीधे ऊपर देखा जा सकता है। कर्क रेखा उज्जैन में महाकाल मंदिर के शिखर को पार करती है, जैसे यह गुजरात में सोमनाथ मंदिर को पार करती है। ऐसा कहा जाता है कि यह काल्पनिक रेखा उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर से होकर गुजरती है, जिसे हिंदू ब्रह्मांड में मंगल (मंगल) का जन्मस्थान और पृथ्वी से मंगल का निकटतम बिंदु माना जाता है।

समय के साथ उज्जैन का मिलन संयोग नहीं है। इस वेधशाला के निर्माण से बहुत पहले, उज्जैन प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान और गणित का एक प्रमुख केंद्र था। सूर्य सिद्धांत भारत में मानक समय के सबसे पहले ज्ञात विवरणों में से एक प्रदान करता है। एक गोलाकार पृथ्वी की कल्पना करते हुए, पुस्तक में प्रधान मध्याह्न रेखा या शून्य देशांतर का वर्णन किया गया है, जो हरियाणा में अवंती (उज्जैन) और रोहिताका (रोहतक) से होकर गुजरती है।

खगोल विज्ञान पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ, ज्योतिष वेदांग के अनुसार, ग्रहों की स्थिति के ज्ञान के लिए समय का ध्यान रखना आवश्यक था, जो वैदिक अनुष्ठानों के लिए शुभ दिन या समय की भविष्यवाणी करने के लिए महत्वपूर्ण थे।

प्राचीन काल में वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे खगोलशास्त्रियों सहित अन्य दिग्गजों ने भी उज्जैन को अपना घर बनाया था।

इसके अतिरिक्त, यहीं उज्जैन में महान राजा विक्रमादित्य ने शकों को खदेड़ दिया था और एक नया युग, विक्रम संवत या उज्जैन कैलेंडर, लगभग 58-56 ईसा पूर्व शुरू किया था। उज्जैन की वेधशाला समय और ऊंचाई मापती है, ग्रहण निर्धारित करती है, और ग्रहों की गति और कक्षाओं का अध्ययन करती है। सभी यंत्र छाया डालने के सिद्धांत पर कार्य करते हैं।

21 जून को उज्जैन में क्या है खास?

पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण सूर्य 21 व 22 जून को उत्तरी गोलार्द्ध में कर्क रेखा पर लंबवत रहता है, जिससे कुछ क्षण के लिए परछाई गायब हो जाति है 21 जून, ग्रीष्म संक्रांति-एक मिनट के लिए आप खुद की परछाई आपका साथ छोड़ देती है

वेधशाला की जानकारी

उज्जैन ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काफी महत्व का स्थान प्राप्त किया है, सूर्य सिद्धान्त और पंच सिद्धान्त जैसे महान कार्य उज्जैन में लिखे गए हैं। भारतीय खगोलविदों के अनुसार, कर्क रेखा को उज्जैन से गुजरना चाहिए, यह हिंदू भूगोलवेत्ताओं के देशांतर का पहला मध्याह्न काल भी है। लगभग चौथी शताब्दी ई.पू. उज्जैन ने भारत के ग्रीनविच होने की प्रतिष्ठा का आनंद लिया। वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने 1719 में किया था जब वे दिल्ली के राजा मुहम्मद शाह के शासनकाल में मालवा के राज्यपाल के रूप में उज्जैन में थे।

● जीवाजी वेधशाला
चिंतामन रोड, जबसिंहपुरा, उज्जैन
संपर्क करें-0734-2557351
ईमेल-segjivobsujj@mp.gov.in
वेबसाइट-www.jiwajiobservatory.org
सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला

सृष्टि का कल्याण केवल सनातन में है-भागवत

हरिद्वार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सृष्टि का कल्याण केवल सनातन धर्म में है।

श्री भागवत आज यहां जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि महाराज के आचार्य पद पर 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में हरिहर आश्रम में एक विशाल संत समागम को संबोधित कर रहे थे। इस समारोह में देश के कई राजनेता एवं जाने-माने संत शामिल हुए ।

श्री भागवत ने कनखल स्थित हरिहर आश्रम में शुरू हुए तीन दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि कहा कि विश्व कल्याण की कामना हम कर रहे हैं जिसमें भी भय मुक्त कामना की कल्पना करते हैं। उन्होंने कहा, सृष्टि का कल्याण केवल सनातन में है।कहा कि ज्ञान भाषण से नहीं आचरण से आता है। अगर एक शब्द का भी आचरण कर लिया जाए तो दुनिया में परिवर्तन आ सकता है। भगवान श्री राम इसलिए पुरुषोत्तम नहीं कहलाए, इसके लिए उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया।

उन्होंने कहा कि अगर हम अपना जीवन बदले तो दुनिया में बदलाव

आएगा और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। कल्याणकारी सनातन वर्ण का पालन करें तो दुनिया का भला होगा और हमारा भी भला होगा।

संघ प्रमुख ने कहा, सनातन सर्वे भवंतु सुखिनः की बात करते हैं। जो रहेगा वह सनातन है। ज्ञान भाषण से नहीं आचरण से पहुंचता है। हम अपने आचरण से प्रमाण स्थापित करें। जैसे प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में प्रमाण स्थापित कर बताया कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम है। कहा कि सत्य, करुणा, शुचिता और तपस्या समष्टि के कल्याण के सूत्र हैं। इसे आत्मसात कर चलेंगे तो हमारा भी भला होगा और दुनिया का भी।

आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज ने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति है। जो समस्त विश्व को अपना कुटुंब मानती है आज समझती कल्याण के क्या सूत्र हो सकते हैं इस पर विचार गोष्ठी रखी गई। उन्होंने कहा कि समष्टि का अर्थ है कि सब कैसे प्रसन्न रहे तथा प्रकृति, पर्यावरण का कैसे संरक्षण हो। संतों की ओर से आज यह सूत्र प्रतिपादित किए गए कि किस प्रकार विश्व को एकता प्रति प्रेम एवं सामान्य में कैसे दिया जा सके वह भारत के सनातन धर्म में और भारत के सनातन संस्कृति में है। भारत की सनातन संस्कृति पूरे विश्व को अपना मानती है इस प्रकार के सूत्रों पर आज चर्चा हुई और यहां तीन दिवसीय कार्यक्रम में देशभर के विद्वान राजनेता एवं संत मनीषिगण अपने-अपने विचार रखेंगे।

लोकसभा चुनाव के लिए मोदी ने दिया 50% का लक्ष्य

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कमरकस के तैयार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन के नेताओं से पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए कहा है। लोकसभा चुनाव के लिए यह लक्ष्य रखा गया है कि भाजपा 50% से अधिक वोट शेयर हासिल करें। देशभर की लोकसभाओं को बांटा जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर 15 जनवरी के बाद से शुरू होगा। पार्टी के युवा मोर्चा को भी सम्मेलन की शुरुआत करने के निर्देश मिले हैं, जो 24 जनवरी से आयोजित होंगे। देश भर में 5000 सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि उत्तर प्रदेश में यादव और जाटवों को अपने पक्ष में किया जाए। देश भर में सामाजिक सम्मेलनों के आयोजन के जरिए भी मतदाताओं को साधने की

कोशिश की जाएगी। गौरतलब है कि विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलाइंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच वर्ष 2024 में सीधी लड़ाई होने की संभावना है जिसे देखते हुए पार्टी ने फैसला किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के वोट प्रतिशत को 10% अधिक करने का लक्ष्य हासिल किया जाए। इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला लिया गया है कि पार्टी अधिक से अधिक नए मतदाताओं को अपने साथ जोड़े इसके लिए सम्मेलनों को अलग-अलग स्तर पर आयोजित किया जाए। देश भर में नहीं मतदाताओं को जोड़ने के लिए पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाएगी। बता दें कि युवा मतदाता दिवस के मौके पर नए मतदाताओं को साधने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सम्मेलन को संबोधित कर सकते हैं।

लोकसभा चुनाव में राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाएगी भाजपा, विपक्ष को बेनकाब करने की तैयारी

लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के अभियान के केंद्र में इस बार राम मंदिर बड़े मुद्दे के रूप में रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विहिप के अभियान के साथ जुड़कर इसे पार्टी न केवल देश भर में ले जाएगी, बल्कि इससे नए मतदाताओं को भी जोड़ेगी।

इस दौरान वह विपक्ष को बेनकाब भी करेगी। मिशन 2024 के लिए एक जनवरी से ही भाजपा का बहुस्तरीय अभियान शुरू हो जाएगा, इसमें उसके सभी प्रमुख नेता जुटेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए मंत्र के बाद दूसरे व आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी और कार्यकर्ताओं का आव्हान किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। इस चुनाव को हैट्रिक के साथ बड़े अंतर से जीतना है। सूत्रों के अनुसार शाह ने कहा कि इतनी बड़ी जीत हासिल करनी है कि विपक्ष हमारे सामने खड़ा होने में भी दस बार सोचे। उन्होंने कहा कि संगठन को और भी मजबूत करने के लिए बूथ स्तर तक पार्टी की चाक चौबंद मजबूती करनी होगी। उन्होंने खुद बूथ लेवल कार्यकर्ता के रूप में बहुत काम किया है। बैठक के दौरान राम मंदिर पर एक अलग से सत्र हुआ। इसमें राम मंदिर को लेकर पार्टी ने जो प्रयास किए है उनकी जानकारी दी और इस समय सरकार क्या क्या काम कर रही है उसकी जानकारी दी गई। पार्टी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विहिप जो आयोजन कर रही हैं उनमें पूरी तरह सहभागिता करनी है। भाजपा राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर एक जनवरी से पूरे देशभर में कार्यक्रम करेगी। करीब 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान भाजपा विपक्ष ने राम मंदिर निर्माण को रोकने के लिए जो रोड़े अटकाए उसको भी जनता को बताएगी। राम मंदिर अभियान से जुड़ी एक बुकलेट भी तैयार होगी, जो जनता के बीच पहुंचाई जाएगी।

घर-घर पहुंचेगे भाजपा कार्यकर्ता

बैठक में राम मंदिर उद्घाटन समारोह को बड़ा व भव्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया। उद्घाटन से पहले देश को राममय किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर तक जाएंगे। एक जनवरी से पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर अक्षत बांटने, मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित करवाने, मंदिरों में दीप जलवाने जैसे कार्यक्रमों से जुड़ेंगे।

कलस्टर सम्मेलनों से जुड़ेंगे सभी लोकसभा क्षेत्र

भाजपा ने अगले चुनाव में मिशन 50 फीसद वोट के लिए दस फीसदी से ज्यादा वोट बढ़ाने के लिए भी कार्ययोजना तैयार की है। इसके लिए पूरे देश की लोकसभाओं को कलस्टर में बांटकर कलस्टर बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन कलस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 15 जनवरी के बाद कलस्टर बैठकें शुरू हो जाएंगी। इसके साथ-साथ देशभर में सामाजिक सम्मेलनों का आयोजन भी किया जायेगा। उत्तर प्रदेश में यादव और जाटव समुदायों को करीब लाने के लिए भी भाजपा प्रयास करेगी।

पांच हजार नव मतदाता सम्मेलन

पार्टी नए मतदाताओं को जोड़ने पर विशेष फोकस करेगी और उसके लिए अलग अलग स्तर पर सम्मेलन किए जाएंगे। पार्टी का युवा मोर्चा 24 जनवरी से देश भर में विधासभा स्तर पर नव मतदाता सम्मेलन आयोजित करेगा। ऐसे लगभग पांच हजार सम्मेलन किए जाएंगे। इसके अलावा युवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नव मतदाताओं को संबोधित भी कर सकते हैं। भाजपा जनप्रतिनिधि सम्मेलनों का भी आयोजन करेगी। देशभर में महिला, गरीब, युवा और किसान वर्ग को साधने पर फोकस रहेगा।

उज्जैन शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का प्लान सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर तैयार करें, तिरुपति बालाजी की तर्ज पर महाकाल मन्दिर में कम समय में सुलभ दर्शन सुनिश्चित होंगे

लेखक-हरिशंकर शर्मा, उज्जैन
Editor-www.apani-bat.com

उज्जैन। उज्जैन जिले की पुरातत्व महत्व की सम्पत्तियों का रिनोवेशन प्राथमिकता दी जाएगी .2028 के सिंहस्थ को देखते हुए एनएचआई उज्जैन शहर के अन्दर की सड़कों को भी डेवलप करे, मांस-मछली विक्रेताओं को बैठने के लिये एक निश्चित स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।

निर्धारित डेसीबल से ऊपर लाऊड स्पीकर बजने पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

महाकाल मन्दिर में श्रद्धालुओं को मन्दिर तक पहुंचने में अधिक न चलना पड़े इसकी व्यवस्था जायेगी।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 23 दिसम्बर को उज्जैन में शहर विकास के कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। उज्जैन नगर को स्वच्छ रखने हेतु सफाई अभियान में सी.एम. ने झाड़ू लगाई, पोधारोपण भी किया।

न्याय वितरण प्रणाली का नया अध्याय

पृष्ठ 1 से निरंतर....

14 धाराएं निरस्त/हटा दी गई हैं।

नए बिल/कानून की मुख्य बातें

भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) का स्थान लेता है। यह IEA के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखता है जिनमें स्वीकारोक्ति, तथ्यों की प्रासंगिकता और सबूत का बोझ शामिल है। IEA दो प्रकार के साक्ष्य प्रदान करता है-दस्तावेजी और मौखिक। दस्तावेजी साक्ष्य में प्राथमिक (मूल दस्तावेज) और द्वितीयक (जो मूल की सामग्री को साबित करते हैं) शामिल हैं। भारतीय साक्ष्य विधेयक ने विशिष्टता बरकरार रखी है। यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज़ के रूप में वर्गीकृत करता है।

IEA के तहत, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत करता है। यह सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी संचार उपकरण (स्मार्टफोन, लैपटॉप) में संग्रहीत जानकारी को शामिल करने के लिए ऐसे रिकॉर्ड का विस्तार करता है।

भारतीय साक्ष्य विधेयक निम्नलिखित को शामिल करने के लिए द्वितीयक साक्ष्य का विस्तार करता है (i) मौखिक और लिखित स्वीकारोक्ति, और (ii) उस व्यक्ति की गवाही जिसने दस्तावेज की जांच की है और दस्तावेजों की जांच में कुशल है। इसमें 170 प्रावधान होंगे (मूल 167 प्रावधानों के बजाय) कुल 24 प्रावधान बदले गए हैं, 2 नए प्रावधान, 6 उप-प्रावधान जोड़े गए हैं 6 प्रावधान निरस्त/हटाए गए हैं।

तीन नए कानून विधेयकों का मूल्यांकन

ताकतें

आधुनिकीकरण-विधेयक का उद्देश्य भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित करना है, जिन्हें पुराना और औपनिवेशिक युग के अवशेष माना जाता है। उन्हें नए, व्यापक कोड से बदलने से कानूनी प्रणाली में दक्षता, स्पष्टता और स्थिरता में संभावित सुधार हो सकता है।

कमियों को संबोधित करना-प्रस्तावित बिल वर्तमान कानूनी ढांचे में कुछ मौजूदा कमियों को संबोधित करते हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक साइबर अपराध से संबंधित अपराधों को संबोधित करने का प्रस्ताव करता है, जो स्पष्ट रूप से आईपीसी में शामिल नहीं थे।

समन्वय-विधेयक का उद्देश्य विभिन्न आपराधिक कानूनों को एक छतरी के नीचे सुसंगत बनाना है, जिससे संभावित रूप से भ्रम और अस्पष्टता कम हो सके।

प्रक्रियात्मक सुधार-बीएनएस विधेयक अदालती प्रक्रियाओं को सरल बनाने और मुकदमों में देरी को कम करने का प्रस्ताव करता है। इससे न्याय तक पहुंच और पीड़ित की संतुष्टि में सुधार हो सकता है।

कमजोरियाँ-

● **जल्दबाजी में मसौदा तैयार करना**-जल्दबाजी में मसौदा तैयार करने और पर्याप्त सार्वजनिक परामर्श की कमी के कारण विधेयकों की आलोचना की गई है। इससे संभावित अनपेक्षित परिणामों और चूकों के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं।

● मौलिक अधिकारों का क्षरण-बिल में कुछ प्रावधानों, जैसे कि पुलिस की शक्तियों में वृद्धि और कड़ी जमानत शर्तों ने मौलिक अधिकारों और उचित प्रक्रिया के संभावित क्षरण के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।

● **स्पष्टता का अभाव**-विधेयकों में कुछ प्रावधान अस्पष्ट हैं और व्याख्या के लिए खुले हैं, जिससे आवेदन में विसंगतियां और संभावित दुरुपयोग हो सकता है।

● **दुरुपयोग की संभावना**-विस्तारित पुलिस शक्तियों और सख्त दंडों का उपयोग कुछ समूहों या व्यक्तियों को लक्षित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे भेदभाव और शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है।

अवसर-

● **न्याय प्रणाली को मजबूत करना**-यदि प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो नए कानून भारतीय न्याय प्रणाली को आधुनिक और मजबूत कर सकते हैं, जिससे दक्षता में सुधार होगा और न्याय तक पहुंच में सुधार होगा।

● **सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना**-बिल का उपयोग कानूनी प्रणाली में मौजूदा असमानताओं और अन्याय को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के खिलाफ भेदभाव।

● **जनता का विश्वास बढ़ाना**-एक अधिक आधुनिक और कुशल कानूनी प्रणाली कानून के शासन में जनता का विश्वास बढ़ा सकती है।

● **एक मिसाल कायम करना**-इन विधेयकों का सफल कार्यान्वयन कानून के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के सुधारों को प्रेरित कर सकता है।

चुनौतियाँ-

● **सार्वजनिक विरोध**-विधेयकों को वकीलों, कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। यह विरोध उनके सुचारू कार्यान्वयन में बाधा बन सकता है।

● **कार्यान्वयन चुनौतियाँ**-ऐसे व्यापक सुधारों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों और प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होगी। क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण होगा।

● **सुरक्षा और स्वतंत्रता को संतुलित करना**-विधेयकों को सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के बीच संतुलन बनाना चाहिए। यह एक नाजुक और चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

● **अप्रत्याशित परिणाम**-किसी भी नए कानून में अप्रत्याशित परिणाम होने की संभावना होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिल अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करें, सावधानीपूर्वक निगरानी और मूल्यांकन आवश्यक होगा।

तीन नए कानून विधेयकों में भारतीय कानूनी प्रणाली को महत्वपूर्ण रूप से आधुनिक बनाने और सुधारने की क्षमता है। हालाँकि, उनके कार्यान्वयन में संभावित कमज़ोरियों और चुनौतियों को लेकर चिंताएँ भी हैं। पूरी तरह से सार्वजनिक बहस करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बिलों को इस तरह से लागू किया जाए कि उनके इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को बरकरार रखा जा सके।

स्वताधिकारी/प्रकाशक मनमोहन शर्मा के लिये साप्ताहिक उज्जैन टाइम्स 110, तिरुपति एवेन्यू, होटल नत्रक्ष के पीछे, पंचक्रोशी मार्ग, उज्जैन (म.प्र.) से प्रकाशित एवं ज्योति ट्रेडर्स एवं प्रिन्टर्स न्यू रोड़, उज्जैन से मुद्रित।
● प्रधान सम्पादक : मनमोहन शर्मा मोबा. 9827233734 manmohan680@gmail.com (सभी वाद-विवादों का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा)।